GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO.1694
TO BE ANSWERED ON 10.02.2026

RESERVATION POLICY FOR OBCs

1694. DR. GANAPATHY RAJKUMAR P:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether the Ministry has undertaken any steps for formulation and implementation of Reservation Policy for OBCs in recruitment for various posts and services under the Government and Union Territories, if so, the details thereof;

(b) whether the Ministry has undertaken any welfare measures for OBCs, if so, the details thereof;

(c) the total number of OBCs were recruited and appointed in various posts/services during the last five years;

(d) whether the Ministry has any proposal to review of the various schemes earmarked for the welfare of Other Backward Classes, if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(SHRI B.L.VERMA)

(a) & (c) : The Government of India has a reservation policy through OM dated 8.9.1993 of the Department of Personnel and Training and other instructions issued from time to time, under which 27% of vacancies in direct recruitment to civil posts and services under the Government are reserved for OBCs (Socially and Educationally Backward Classes - SEBCs). The implementation of the reservation policy is being done by the Department of Personnel and Training.

(b), (d) & (e) : The Ministry is taking the following measures for the welfare of OBCs :

The Umbrella Scheme of PM Young Achievers' Scholarship Award Scheme for Vibrant India for OBCs and others (PM –YASASVI) for the welfare of Other Backward Classes with the following components.

(i) Pre-Matric Scholarship for OBC, EBC and DNT Students
(ii) Post-Matric Scholarship for OBC, EBC and DNT Students
(iii) Top Class Education in Schools for OBC, EBC and DNT Students
(iv) Top Class Education in Colleges for OBC, EBC and DNT Students
(v) Construction of Hostel for OBC Boys and Girls.

Umbrella Scheme "Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS-OBC)", which has two sub-schemes namely-

(i) National Fellowship for OBCs

(ii) Dr. Ambedkar Central Sector Scheme of Interest Subsidy on Educational Loans for Overseas Studies for Other Backward Classes (OBCs) and Economically Backward Classes (EBCs)

The revision of the Schemes for OBCs is undertaken from time to time in consultations with all stake holders and the concerned Ministries and Departments.

*****

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1694

उत्तर देने की तारीख: 10.02.2026

ओबीसी के लिए आरक्षण नीति

1694. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई कल्याणकारी उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न पदों/सेवाओं में कुल कितने अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती और नियुक्ति की गई है;

(घ) क्या मंत्रालय के पास अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निर्धारित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ग): भारत सरकार के पास कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन के तहत एक आरक्षण नीति है और समय-समय पर जारी किए गए अन्य अनुदेश हैं, जिसके अंतर्गत सरकारी सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 27% रिक्तियां अन्य पिछड़े वर्गों (सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग-एसईबीसी) के लिए आरक्षित हैं। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(ख), (घ) और (ङ): मंत्रालय अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा है -

अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए ओबीसी और अन्य के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी) नामक व्यापक योजना जिसमें निम्नलिखित घटक हैं।

(i) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

(ii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

(iii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा

(iv) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा

(v) ओबीसी के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।

व्यापक योजना "यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस-ओबीसी)", जिसमें दो उप-योजनाएं हैं, अर्थात-

(i) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अम्बेडकर केन्द्रीय क्षेत्र योजना।

ओबीसी से संबंधित योजना में समय-समय पर संशोधन सभी हितधारकों और संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों के परामर्श से किया जाता है।

*****